

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 18 अक्टूबर 2024, समय 1810 (10 मिनट))

- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जायेंगे।
- हरियाणा के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गुर्दे के रोग से पीड़ित रोगियों को डायलिसिस की सेवा निशुल्क देने का फैसला लिया गया।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू करने का निर्णय लिया है।
- हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए बैठक जारी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री को हरियाणा सिविल सचिवालय में पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया गया। कार्यभार संभालने के बाद श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के अपने 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की अनथक सेवा का व्रत लेकर उन्होंने प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मंत्रियों को विभाग आवंटित किये जायेंगे। इसके पश्चात विभाग अनुसार आगे काम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार सहित सभी मंत्रियों के कार्यालय में पहुंचकर उन्हें पदभार ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री ने मिठाई खिलाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। सभी मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस आशाओं व अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया है, वे उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।

आज हरियाणा के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में गुर्दे के रोग से पीड़ित रोगियों को डायलिसिस की सेवा निशुल्क दी जायेगी। मीडिया को मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने किया हरियाणावासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले 24 हजार नौकरियां देने के वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लागू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को, वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति, दो वर्गों में विभाजित किया जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए

आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति के लिए और शेष 10 प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

श्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की फसल हर दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 55 प्रतिशत धान और बाजरे का उठान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में धान की खरीद के 3 हजार 56 करोड़ और बाजरे की खरीद के 331 करोड़ रूपए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे या तो सुधर जाएं नहीं तो प्रदेश छोड़ दें अथवा सरकार उन्हें सुधारने का काम करेगी ।

आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई, विधायक अकरम खान, विनेश फोगाट, शैलीचौधरी, परमिंदर सिंह, आदित्य सुरजेवाला, अशोक अरोड़ा मोहम्मद खान, बीबी बतरा सहित अन्य कांग्रेस विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी अभी जानकारी मिली है कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा सभी विधायकों से अलग अलग राय ले रहे हैं और कई विधायक अपनी राय देकर बैठक से चले गए हैं। कहा जा रहा है कि सेलजा गुट भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुने जाने के पक्ष में नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गये राष्ट्रीय कानून को अमल में लाने में बाधा नहीं बनना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था।

नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़े टेलीकॉम उत्सव - इंडिया मोबाइल कांग्रेस - आई.एम.सी के आठवें संस्करण का आज अंतिम दिन है। इस महीने की 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मण्डप में इसका उद्घाटन किया था। इस वैश्विक कार्यक्रम में एक सौ नब्बे से अधिक देशों के तीन हजार से अधिक उद्योगपति, नीति-निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञों ने भागीदारी

ली। इस चार दिवसीय कार्यक्रम में चार सौ से अधिक प्रदर्शक, लगभग नौ सौ स्टार्टअप और एक सौ बीस देश शामिल हुए हैं।

आकाशवाणी से बातचीत में एक प्रदर्शक ने कहा कि इस आयोजन से उन्हें अपने ग्राहकों से बातचीत करने और विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिला। एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक ने कहा कि भारत में उत्पादों और विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत अवसर है और वे 6-जी प्रौद्योगिकी के शुरुआती चरणों में बहुत मददगार साबित हुआ है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने भिखारियों की बढ़ती गिनती के मद्देनज़र चंडीगढ़ को भिकारी मुक्त करने के लिए आठ दिन का जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान न केवल भीख मांगने वालों और बल मजदूरों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा बल्कि जरूरतमंद लोगों को पेश चुनौतियों को गहराई से समझने का प्रयत्न कभी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान NSS सवसेवकों की मदद से शैक्षिक गतिविधियां चलाई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों व गरिमा की रक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को कार्य रूप देते हुए चंडीगढ़ पुलिस की मानव इकाई और बाल सुरक्षण सोसाइटी के साथ मिलकर बचाव अभियान भी चलाया जायेगा। विभाग छात्रों के साथ भीख मांगने की जटिलताओं के बारे चर्चा करेगा और उनमें सामाजिक जिमेदारी की भावना पैदा करेगा।

भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर निवासी योगेश मलिक का चयन हॉकी इंडियन लीग में बंगाल टाईगर्स की टीम में हुआ है। योगेश मलिक फिलहाल भारतीय नौसेना में पीटी अफसर के पद पर तैनात है। योगेश मलिक के अलावा इस टीम में हरियाणा से ही दो अन्य खिलाड़ी ओलंपियन प्रदीप मोर व अभिषेक नैन का भी चयन हुआ है। कोच राजेंद्र भंभल ने बताया कि योगेश विश्व के सबसे पुराने हॉकी टूर्नामेंट बेयटन कप-2022-2023 के विजेता हैं , उन्होंने व खेलो इंडिया युवा खेलों में स्वर्ण पदक व बेस्ट स्कोरर का खिताब भी जीता है।